भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 944

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

कुशल और अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए योजनाएं

944. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में कुशल और अकुशल प्रवासी श्रमिकों के कल्याण हेतु शुरू की गई/कार्यान्वित की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थलों पर प्रवासी श्रमिकों की मौजूदा स्थितियों के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है/कराने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा श्रमिकों की समग्र दशाओं के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): प्रवासी कामगार विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं। सरकार कुशल और अकुशल प्रवासी कामगारों सहित कामगारों के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में (i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (ii) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना (iv) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और (v) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शामिल हैं।

जारी--/2

श्रम ब्यूरो ने प्रवासी कामगारों पर उनकी सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के संबंध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है। सर्वे का फील्ड वर्क पूरा हो चुका है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार सत्यपित और उससे जुड़े प्रवासी कामगारों और असंगठित कामगारों के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का भी शुभारम्भ किया है। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत करना शामिल है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्राप्त करने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में मदद मिलती है। अब तक, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों /विभागों की बारह (12) सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है जिसमें निम्नलिखित योजनाएं -महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आदि शामिल हैं।

सरकार ने श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए चार श्रम संहिताएं अर्थात्, मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लागू की हैं। श्रम संहिताओं में इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं;

- सभी कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान के लिए सांविधिक अधिकार सृजित किया गया है।
- राज्य न्यूनतम मजदूरी दर निम्नतम मजदूरी से कम निर्धारित नहीं कर सकते हैं।
- असंगठित कामगारों और गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए योजनाएं।
- असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि।
- पीडीएस की पोर्टेबिलिटी और निर्माण कामगार और अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों (आईएसएमडब्ल्यू) के लिए अन्य लाभ।
- यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा नियम जैसे वेंटिलेशन, फेंसिंग, भीड़भाड़ आदि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।
- कर्मचारियों के लिए नि: शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
- नियोक्ता योगदान से पुनः कौशल निधि: छंटनी किए गए कामगार को पंद्रह दिन के वेतन का भुगतान किया जाएगा।

- कौशल निर्माण, कॅरियर और उद्यमिता मार्गदर्शन के लिए करियर केंद्र अर्थात राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल।
- प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य नियुक्ति पत्र।
- प्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निश्चित अवधि रोजगार।
- लैंगिक तटस्थता को बढ़ावा देना और भर्ती और वेतन भुगतान में भेदभाव को रोकना।
- महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा के अधीन सभी प्रतिष्ठानों में रात में काम करने की अनुमति देना।
- प्रसूति हित लाभ के लिए महिला कर्मचारियों के लिए वेतन के साथ 26 सप्ताह की छुट्टी।
- नियोक्ता के साथ पारस्परिक रूप से सहमत रोजगार शर्तों पर प्रसूति अवकाश का लाभ उठाने के बाद महिलाओं के लिए 'वर्क फ्रॉम होम'।
- 50 या उससे अधिक कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा सुनिश्चित करना।

******